न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 07/18 **निर्णय दिनांकः— 31.10.2018**

1. खींयाराम पुत्र सूगनाराम जाति मेघवाल निवासी नोखड़ा भाटियान तहसील फलौदी जिला जोधपुर।

—अपीलांट

—बनाम—

1. बगड़ावतराम पुत्र भलुराम जाति बिश्नोई निवासी जांगलू तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. पदमाराम पुत्र पिदमणराम जाति जाट निवासी बीकासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 29—11—2017
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः—

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 29—11—2017 जिसके द्वारा अपीलांट का दावा विधि विरूद्व खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके रोही ढींगसरी के पुराने खेत खसरा नम्बर 139/2 तादादी 40 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित रही है। जो भगवतीदेवी जोजे श्री सोहनलाल की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि श्रीमती भगवतीदेवी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व खेताराम पुत्र पन्नाराम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03—01—1983 को निम्नलिखित आसापास सहित विक्रय कर दी गई। उत्तर किशनलाल पुत्र हीरालाल पंचारिया का खेत, दक्षिण शिवसिंह पुत्र हीरसिंह राजपूत का खेत, पूर्व गिरधारी पुत्र मगनाराम का खेत, पश्चिम गीधाराम पुत्र खुमाणसिंह का खेत। तत्पश्चात् खेताराम के वारिस बीजांराम ने वादगत् भूमि में से 5.15 हेक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैय करते हुए वादगत् भूमि पर मौके पर कब्जा करवा दिया गया।

उन्होनें आगे बताया कि ग्राम ढींगसरी के किशनलाल पुत्र हीरालाल ने पुराने खसरा नम्बर 139/1 की तादादी 40 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04—04—1987 को निम्नलिखित आसापासा सहित बैय कर दी गई। जिसमें उत्तर में खसरा नम्बर 138, दक्षिण में खसरा नम्बर 139/2, पूर्व में खसरा नम्बर 140, पश्चित में खसरा नम्बर 149। इस प्रकार पुराने खेत खसरा नम्बर 139/1 की 40 बीघा 14 बिस्वा भूमि उत्तर में तथा पुराने खेत खसरा नम्बर 139/2 की भूमि दक्षिण में स्थित रही। पुराने खेत खसरा नम्बर 139/1 के नये खसरा नम्बर 749 तादादी 10.30 हेक्टर व खसरा नम्बर 139/2 के नये खसरा नम्बर 1051/749 कायम किये गये।

दौराने सेटलमेंट अपीलांट/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम अंकित हिस्से को नक्शे में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दक्षिण की बजाय उत्तर में दर्शा दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित हिस्से को दक्षिण में दर्शा दिया गया। जबकि मौके पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दक्षिण तरफ व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उत्तर की तरफ काबिज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण बैयनामें अनुसार अपने – अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। लेकिन जिस भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कब्जा है वह भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है तथा जिस भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा है वह भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम अंकित है। प्रकरण में अपीलांट/वादी द्वारा बैयनामें के अनुसार धोषणा करवाने हेतु दावा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत करते हुए किसी प्रकार का कोई उज्र एतराज अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया ना ही भविष्य में किसी प्रकार का उज्र एतराज प्रस्तुत करने का कथन किये जाने पर भी अदालत मातहत मात्र सरसरी तौर पर अपीलांट का वादपत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

जबकि मौके की वास्तविक स्थिति अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट एक दूसरे के खेत खसरा नम्बरान् पर काबिज होकर काश्त है। अदालत मातहत के समक्ष अपीलांट के दावे को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने जरिये इकबाली जवाब दावा में स्वीकार कर लिया था इसलिए अपीलांट को दावे में किसी अन्य दस्तावेजात् साक्ष्य के आधार पर साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। अदालत मातहत द्वारा इस महत्वपूर्ण स्थिति को नजरअंदाज कर निर्णय व डिक्री जैर अपील पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावे के अनुसार दावा अपीलांट स्वीकार किया जाकर डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपीलांट की बहस का समर्थन करते हुए अभिकथन किया गया कि चूंकि प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स बैयनामें के अनुसार अपने–अपने धारण की भूमि पर काबिज काश्त है। सेटलमेंट विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की भूमि नक्शें में दक्षिण की बजाय उत्तर दिशा में व रेस्पोडेन्ट संख 1 की भूमि उत्तर की बजाय दक्षिण दिशा में दर्शा दी गई है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में

आवश्यक है। ऐसी स्थिति में यदि बैयनामें के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती जाती है तो उन्हें किसी प्रकार का कोई उज्र एतराज नहीं है।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष एक दावा इस आश्य का प्रस्तुत किया गया कि वादगत् भूमि वाके रोही ढींगसरी के पुराने खेत खसरा नम्बर 139/2 तादादी 40 बीघा 14 बिस्वा भूमि स्थित रही है। जो भगवतीदेवी जोजे श्री सोहनलाल की खातेदारी भूमि थी। उक्त भूमि श्रीमती भगवतीदेवी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व खेताराम पुत्र पन्नाराम को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 03—01—1983 को विक्रय कर दी गई। तत्पश्चात् खेताराम के वारिस बीजांराम ने वादगत् भूमि में से 5.15 हेक्टर भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बैय करते हुए वादगत् भूमि पर मौके पर कब्जा करवा दिया गया। इसी प्रकार ग्राम ढींगसरी के किशनलाल पुत्र हीरालाल ने पुराने खसरा नम्बर 139/1 की तादादी 40 बीघा 14 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04—04—1987 को बैय कर दी गई।

दौराने सेटलमेंट अपीलांट/रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम अंकित हिस्से को नक्शे में क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दक्षिण की बजाय उत्तर में दर्शा दिया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित हिस्से को दक्षिण में दर्शा दिया गया। जबकि मौके पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दक्षिण तरफ व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 उत्तर की तरफ काबिज है। वादी एवं प्रतिवादीगण बैयनामें अनुसार अपने — अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। लेकिन जिस भूमि पर अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का कब्जा है वह भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित है तथा जिस भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का कब्जा है वह भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम अंकित है।

(2) अपीलांट का यह कथन कि जिस भूमि पर अपीलांट का कब्जा है वह भूमि राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट के नाम अंकित है तथा जिस भूमि पर रेस्पोडेन्ट का कब्जा काश्त है उक्त भूमि अपीलांट के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। जबकि अपीलांट द्वारा न तो

अदालत मातहत के समक्ष ना ही अदालत हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे साबित हो कि वादगत् भूमि के संबंध में राजस्व रिकार्ड में कोई गलत इन्द्राज किया गया होना प्रतीत होता हो।

(3) प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन है कि दोनों पक्षकार एक दूसरे की आराजी पर कब्जे काश्त में विद्यमान है व अदालत मातहत के समक्ष दोनों पक्षकारों के द्वारा इकबाली जवाब दावा पेश करते हुए कब्जे काश्त के अनुसार खातेदार घोषित किया जावे।

(4) प्रकरण में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि अपीलांट/वादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है जबकि रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सामान्य जाति का व्यक्ति है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को सामान्य जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता।

(5) अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि का सामान्य जाति में हस्तान्तरण के संबंध में आरटीए की धारा 42 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि

" The sale, gift, or bequest by a khatedar tenant of his interest in the whole or part of his holding shall be void if:- such sale, gift or bequest is by a member of a Schedules Caste in favour of a person who is not a member of the Scheduled Caste, or by a member of a Scheduled Tribe in favour of a person who is not a member of the Scheduled Tribe."

इसप्रकार आरटीएक्ट की धारा 42 में यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति व जनजाति का व्यक्ति भूमि को सामान्य व अन्य जाति के व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं कर सकता।

(6) इसीप्रकार धारा 49 आरटीएक्ट में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ''अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों द्वारा

विनिमय के लिए विशेष प्रावधान के तहत किसी आसामी को जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, अपने भूमि क्षेत्र का विनिमय उक्त धाराओं में से किसी के अधीन ऐसी भूमि में करने का अधिकार नहीं होगा जो कि ऐसे व्यक्ति की भूमि में सम्मिलित है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन—जाति का सदस्य नहीं है और धारा 49 के अधीन कोई प्रार्थना पत्र जो इस धारा के प्रावधानो का उल्लंधन करता है अस्वीकृत किया जायेगा।''

(7) प्रकरण में अपीलांट/वादी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी सामान्य जाति का व्यक्ति है तथा अपीलांट/वादी एवं रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादी द्वारा वादगत् भूमि का हस्तान्तरण चाहा गया है। जिसका हस्तान्तरण उपरोक्त धाराओं के मद्देनजर रखते हुए नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत इकबाली जवाब दावे का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अदालत मातहत द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि बैयनामें के अवलोकन से पाया गया है कि बींजाराम ने भूमि का विक्रय करते समय किसी प्रकार का आसा—पासा विक्रय पत्र में नहीं लिखा गया है यदि बैयनामें में आसा—पासा लिखा जाता तो उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन होता। लिहाजा वादी वाद स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। अदालत मातहत का आदेश पूर्ण रूप से युक्तियुक्त व न्यायोचित आदेश है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, नोखा दिनांक 29—11—2017 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर